

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 11-09-2026

विषय सूची

प्रस्तावित नया बीज अधिनियम: भारत के बीज विनियमन को सुदृढ़ बनाना
पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPP) विनियमन
विकसित भारत के लिए सहयोगात्मक शासन
भारत की नीली अर्थव्यवस्था

संक्षिप्त समाचार

कॉर्पोरेट बॉन्ड के टोकनीकरण के लिए डीमैट 2.0 पायलट
पारा पहले के अनुमान से अधिक तेजी से सिकुड़ रहा है
युद्ध अभ्यास 2026
कलिंग रत्न पुरस्कार
कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक समीक्षा प्रबंधन (USA)
बखीरा झील

प्रस्तावित नया बीज अधिनियम: भारत के बीज विनियमन को सुदृढ़ बनाना

सन्दर्भ

- हाल ही में, केंद्रीय कृषि मंत्री भारत की बीज आपूर्ति श्रृंखला में नकली बीजों पर रोक लगाने, पता लगाने की क्षमता में सुधार करने और जवाबदेही को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रस्तावित नए बीज अधिनियम पर किसान संगठनों के साथ परामर्श कर रहे हैं।

प्रस्तावित नए बीज अधिनियम का परिचय

- प्रस्तावित कानून का उद्देश्य बीज अधिनियम, 1966 का स्थान लेना तथा बीजों और रोपण सामग्री के लिए एक अधिक सुदृढ़, एकसमान और प्रौद्योगिकी-सक्षम नियामक ढाँचा तैयार करना है।
- वर्तमान कानून लगभग छह दशक पुराना है, जबकि बीज नियंत्रण आदेश 1983 में लागू हुआ था।
- सरकार ने वर्ष 2025 के अंत में मसौदे पर जनता से सुझाव मांगे थे और किसानों तथा किसान संगठनों से लगभग 18,000 सुझाव प्राप्त हुए।
- हाल के परामर्शों के दौरान लगभग 20 किसान संगठनों, जो लगभग सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं।

नए अधिनियम की आवश्यकता क्यों थी?

- पुराना नियामक ढाँचा:** 1966 के बाद से भारतीय कृषि में बड़े बदलाव हुए हैं, जिनमें तकनीकी प्रगति, निजी बीज बाजारों का विस्तार और नई किस्मों का उद्भव शामिल हैं।
- वर्तमान ढाँचा इन विकासों के लिए अपर्याप्त माना जाता है।
- बड़ा नियामक अंतर:** कृषि मंत्री के अनुसार, वर्तमान में लगभग 70% बीज मौजूदा बीज अधिनियम के दायरे से बाहर हैं, जिससे प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- नकली एवं निम्न-गुणवत्ता वाले बीज:** नकली और निम्न-गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री से फसल खराब हो सकती है, किसानों की आय का नुकसान हो सकता है और वे कर्ज के बोझ में आ सकते हैं।
 - मौजूदा दंड और जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्थाओं को अपर्याप्त माना गया है।
- एकरूपता का अभाव:** बीज से संबंधित प्रक्रियाएँ विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं, जिससे नियामक असंगतियाँ पैदा होती हैं और एकसमान मानकों को सुनिश्चित करने में कठिनाई होती है।

प्रस्तावित बीज अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

- राष्ट्रीय पंजीकरण एवं क्यूआर-आधारित पता लगाने की क्षमता:** सभी बीजों और रोपण सामग्री का राष्ट्रीय रजिस्टर में पंजीकरण आवश्यक होगा।
- अपंजीकृत बीजों की बिक्री प्रतिबंधित होगी।
- प्रत्येक बीज पैकेट पर एक क्यूआर कोड होगा, जिससे किसान उसके स्रोत, निर्माता, प्रयोगशाला से मिली स्वीकृति और आपूर्ति श्रृंखला में उसकी आवाजाही का पता लगा सकेंगे।
- किसानों के पारंपरिक बीज अधिकारों का संरक्षण:** किसानों को पारंपरिक और किसान किस्मों का उपयोग, आदान-प्रदान और बिक्री करने का अधिकार जारी रहेगा।
- पारंपरिक बीजों का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होगा, हालांकि किसान स्वेच्छा से अपनी किस्मों का पंजीकरण करा सकेंगे।
- व्यक्तिगत उपयोग, ग्राम-स्तरीय वितरण या किसी कंपनी के लिए बीज का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रस्तावित प्रावधानों के तहत डिजिटल पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।
- कठोर दंड:** उल्लंघनों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा:
 - मामूली उल्लंघन:** पहली बार अपराध पर चेतावनी; दूसरी बार अपराध पर ₹50,000 तक का दंड;
 - जानबूझकर किए गए उल्लंघन:** जैसे क्यूआर कोड लगाने में विफलता, गलत ब्रांडिंग या आवश्यक जानकारी का खुलासा न करना; पहली बार ₹1 लाख; दूसरी बार अपराध पर ₹2 लाख का दंड;
 - गंभीर अपराध:** जिसमें नकली बीज, बिना पंजीकरण के संचालन और जानबूझकर की गई धोखाधड़ी शामिल हैं; ₹30 लाख तक का दंड और कारावास।
- राज्यों की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका:** राज्य सरकारों को राज्य-स्तरीय समितियों की सिफारिशों के आधार पर नई किस्मों को जारी करने का अधिकार दिया जाएगा, जबकि राष्ट्रीय मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- सभी किस्मों का रखरखाव एकल राष्ट्रीय ऑनलाइन रजिस्टर में किया जाएगा, जो केंद्र और राज्यों दोनों के लिए सुलभ होगा।
- बीज सुरक्षा कोष एवं मुआवजा:** प्रत्येक राज्य एक बीज सुरक्षा कोष स्थापित करेगा, जिसमें अधिनियम के तहत लगाए गए दंड और वसूल की गई राशि जमा की जाएगी।
- सत्यापित बीज विफलता और उसके परिणामस्वरूप किसानों को हुए नुकसान के मामले में, एक सत्यापन समिति 15 दिनों के भीतर मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया को सुगम बनाएगी।
- किसानों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मुआवजे की मांग करने का अधिकार भी बना रहेगा।

संबंधित मुद्दे एवं चिंताएँ

- **अत्यधिक विनियमन:** अनिवार्य पंजीकरण और डिजिटल रूप से पता लगाने की व्यवस्था से अनुपालन लागत बढ़ सकती है, विशेष रूप से छोटे बीज उत्पादकों के लिए।
- **डिजिटल विभाजन:** क्यूआर-आधारित प्रणालियों को सीमित डिजिटल साक्षरता और कनेक्टिविटी वाले किसानों के लिए भी सुलभ बनाए रखना आवश्यक है।
- **केंद्र-राज्य समन्वय:** एकसमान राष्ट्रीय मानकों का संतुलन राज्य-विशिष्ट कृषि-जलवायु संबंधी आवश्यकताओं के साथ बनाए रखना होगा।
- **किसानों के अधिकार:** विनियमन से पारंपरिक बीज संरक्षण, आदान-प्रदान और सामुदायिक बीज प्रणालियाँ अनजाने में प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए।
- **कार्यान्वयन क्षमता:** कानून को व्यवहार में प्रभावी बनाने के लिए प्रभावी बीज परीक्षण, प्रयोगशालाएँ, निरीक्षण और शिकायत निवारण आवश्यक हैं।

आगे की राह

- प्रस्तावित अधिनियम में किसान-केंद्रित, जोखिम-आधारित नियामक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। व्यापक हितधारक परामर्श, पारदर्शी परीक्षण मानक, पर्याप्त प्रयोगशाला क्षमता और सरल डिजिटल प्रणालियाँ आवश्यक हैं।
- मुआवजा तंत्र वास्तव में समयबद्ध होना चाहिए, जबकि पारंपरिक बीज प्रणालियों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

स्रोत: DD News

पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPP) का विनियमन

सन्दर्भ

- 'बीबीसी न्यूज़ हिंदी' की एक जाँच से पता चला है कि छह पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) को वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग ₹1,700 करोड़ का चंदा प्राप्त हुआ था।

राजनीतिक दलों का परिचय

- राजनीतिक दल नागरिकों द्वारा गठित किया जा सकने वाला व्यक्तियों का एक संघ या निकाय है।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RP अधिनियम) की धारा 29A में किसी राजनीतिक दल को निर्वाचन आयोग (EC) के साथ पंजीकृत कराने की आवश्यकताएँ निर्धारित की गई हैं।

- प्रस्तुत दस्तावेजों की संतोषजनक जाँच के बाद, निर्वाचन आयोग किसी राजनीतिक दल को RUPP के रूप में पंजीकृत करता है।
- RUPP को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:
 - ♦ आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 12 के तहत प्राप्त चंदा पर कर में छूट,
 - ♦ लोकसभा/राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव लड़ने के लिए साझा चुनाव चिह्न,
 - ♦ तथा चुनाव प्रचार के दौरान 20 'स्टार प्रचारक'।
- **RUPP को चंदा:** RUPP के लिए एक वित्तीय वर्ष में ₹20,000 से अधिक के व्यक्तिगत दानदाताओं का विवरण रखना और प्रत्येक वर्ष इसे निर्वाचन निकाय को प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- आयकर अधिनियम, 2025 के तहत RUPP के लिए ₹2,000 से अधिक का चंदा केवल चेक या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से स्वीकार करना आवश्यक है।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29C के अनुसार, इन विवरणों को प्रस्तुत करने में विफल रहने पर आयकर छूट समाप्त हो जाएगी।

चिंताएँ

- निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार, जुलाई तक भारत में 2,800 से अधिक RUPP थे, लेकिन 2024 के आम चुनावों में केवल लगभग 750 ने चुनाव लड़ा।
- इसके कारण शेष RUPP के लिए 'लेटर पैड पार्टियाँ' नाम प्रचलित हुआ है।
- वैधानिक आवश्यकताओं के कमजोर अनुपालन के साथ-साथ पारदर्शिता की कमी के कारण इन 'लेटर पैड' पार्टियों का उपयोग कर चोरी और धन शोधन के लिए एक अपारदर्शी माध्यम के रूप में किया जा रहा है।
- ऐसे दलों का पंजीकरण रद्द करना: RP अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी राजनीतिक दल द्वारा चुनाव न लड़ने, आंतरिक पार्टी चुनाव न कराने या आवश्यक विवरणियाँ प्रस्तुत न करने की स्थिति में उसका पंजीकरण रद्द करने की स्पष्ट शक्ति प्रदान नहीं करता।
- इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एवं अन्य (2002) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि RP अधिनियम के तहत निर्वाचन आयोग के पास किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति नहीं है।
- निर्वाचन आयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही पंजीकरण रद्द कर सकता है, जैसे कि धोखाधड़ी से पंजीकरण प्राप्त किया गया हो, राजनीतिक दल का संविधान के प्रति निष्ठा समाप्त हो गई हो, या सरकार द्वारा उसे गैरकानूनी घोषित कर दिया गया हो।

अनुशंसित सुधार

- विधि आयोग ने अपनी 255वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि यदि कोई राजनीतिक दल लगातार दस वर्षों तक चुनाव लड़ने में विफल रहता है, तो उसका पंजीकरण रद्द करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए।
- निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन सुधारों पर अपने ज्ञापन (2016) में भी RP अधिनियम में ऐसे संशोधन का सुझाव दिया था, जिससे उसे किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार मिल सके।
- निर्वाचन आयोग ने यह भी सुझाव दिया था कि कर छूट केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को दी जाए जो लोकसभा या विधानसभा चुनावों में सीटें जीतते हैं।
- इसे एक अलोकतांत्रिक और अत्यधिक कठोर उपाय माना जा सकता है, क्योंकि ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जो लगातार चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उन्हें चुनावी सफलता नहीं मिलती।
- इसके बजाय, RUPP को साझा चुनाव चिह्न आवंटित करने के लिए निर्धारित 1% मत सीमा के समान, कानून द्वारा RUPP के लिए एक उपयुक्त मत प्रतिशत सीमा निर्धारित की जा सकती है, ताकि प्राप्त चंदे पर कर छूट का लाभ उठाया जा सके।

आगे की राह

- ये लंबे समय से लंबित सुधार हैं, जिन्हें गैर-गंभीर राजनीतिक दलों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाने हेतु लागू करने की आवश्यकता है।
- वर्तमान डिजिटल युग में आयकर विभाग और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के लिए ऐसे दलों के लेन-देन की निगरानी करना और किसी भी गलत कार्य के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना कठिन नहीं है।
- इससे राजनीतिक दलों को उपलब्ध लाभों और छूटों के दुरुपयोग के विरुद्ध एक निवारक प्रभाव उत्पन्न होगा।

स्रोत: TH

विकसित भारत के लिए सहयोगात्मक शासन

सन्दर्भ

- विकास संबंधी चुनौतियों की जटिलता सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सरकार, समुदायों, बाजारों और नागरिक समाज के बीच सहयोग की मांग करती है।

सरकारी सेवा वितरण से प्रभावी शासन की ओर

- सरकार-केंद्रित शासन अक्सर योजनाओं, व्यय और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि प्रभावी शासन इस बात पर केंद्रित होता है कि हस्तक्षेप वास्तव में नागरिकों के जीवन में सुधार ला रहे हैं या नहीं।

- जटिल समस्याएँ जैसे गरीबी, कुपोषण, स्वच्छता आदि कई परस्पर जुड़े सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत कारकों से संबंधित होती हैं।
- ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग विभागों द्वारा किए जाने वाले पृथक हस्तक्षेपों के बजाय विकेंद्रीकृत निर्णय-निर्माण, सामुदायिक भागीदारी, पेशेवर विशेषज्ञता और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय आवश्यक है।

सुशासन के लिए सरकारी पहल

- सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM):** विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है।
- GeM का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है।
- उमंग ऐप:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग द्वारा विकसित उमंग ऐप, पूरे भारत में सरकार की सेवाओं तक पहुँच के लिए एकल मंच के रूप में कार्य करता है।
- यह प्रमुख सरकारी सेवाओं को एक ही मोबाइल ऐप पर एक साथ उपलब्ध कराता है, जिससे नागरिकों के मोबाइल फोन पर सरकारी सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित हो सके।
- केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS):** डैशबोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक शिकायतों के समयबद्ध निवारण और निगरानी के लिए 24x7 ऑनलाइन मंच, जो सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है।
- ई-HRMS 2.0 मोबाइल अनुप्रयोग:** एंड्रॉइड और आईओएस पर उपलब्ध ई-HRMS 2.0 ऐप को सरकारी कर्मचारियों को मानव संसाधन संबंधी सेवाओं तक निर्बाध पहुँच प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।

सहयोगात्मक शासन की नींव के रूप में स्थानीय सरकारें

- ग्यारहवीं अनुसूची पंचायतों को 29 विषय सौंपती है, जबकि बारहवीं अनुसूची नगरपालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक क्षेत्र प्रदान करती है।
- स्थानीय सरकारें समन्वित कार्रवाई के लिए मंच के रूप में कार्य कर सकती हैं, क्योंकि पोषण, स्वच्छता, आजीविका, स्वास्थ्य और गरीबी जैसे मुद्दे स्थानीय स्तर पर एक-दूसरे से निकटता से जुड़े हुए हैं।
- हालांकि, प्रभावी विकेंद्रीकरण के लिए पर्याप्त धन, कार्य और कार्यबल भी आवश्यक हैं, ताकि स्थानीय सरकारें अपनी जिम्मेदारियों को सार्थक परिणामों में परिवर्तित कर सकें।

सामुदायिक भागीदारी के अनुभव

- **महिला स्वयं सहायता समूह:** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) दर्शाता है कि महिला समूह किस प्रकार सामाजिक पूंजी का निर्माण कर सकते हैं और बचत एवं ऋण की अपनी पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़कर स्थानीय विकास में भाग ले सकते हैं।
- **स्वच्छ भारत मिशन:** स्वच्छता में निरंतर सुधार के लिए केवल बुनियादी ढाँचा ही नहीं, बल्कि सामुदायिक लामबंदी, व्यवहार परिवर्तन और स्थानीय नेतृत्व भी आवश्यक है।
- **आशा कार्यकर्ता:** आशा कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर निवास करने वाले और प्रशिक्षित अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के महत्व को दर्शाती हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों और समुदायों के बीच संपर्क स्थापित करते हैं।
- **जलागम एवं आजीविका कार्यक्रम:** जलागम प्रबंधन और आजीविका विविधीकरण में सामुदायिक भागीदारी हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता और स्थिरता में सुधार कर सकती है, क्योंकि स्थानीय हितधारक साझा संसाधनों के प्रबंधन में भाग लेते हैं।
- **संपूर्ण साक्षरता अभियान:** इन अभियानों ने प्रदर्शित किया कि नागरिक भागीदारी और विकेंद्रीकृत लामबंदी औपचारिक सरकारी प्रणालियों की पूरक हो सकती हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **केंद्रीकृत निर्णय-निर्माण:** प्रशासनिक प्रणालियाँ केंद्रीकृत योजना और मानकीकृत कार्यान्वयन को प्राथमिकता देती हैं, भले ही स्थानीय समस्याओं के लिए संदर्भ-विशिष्ट समाधानों की आवश्यकता हो।
- **कमजोर संस्थागत क्षमता:** कई स्थानीय सरकारों के पास पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता, पेशेवर कर्मचारी और प्रशासनिक क्षमताएँ नहीं हैं।
- **अपर्याप्त संसाधन:** पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों के बिना केवल दायित्वों का हस्तांतरण विकेंद्रीकरण की दक्षता को कम करता है।
- **कमजोर जवाबदेही तंत्र:** निगरानी में परिणामों की गुणवत्ता और नागरिक संतुष्टि के बजाय व्यय और भौतिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- **सीमित सामुदायिक सत्यापन:** नागरिकों द्वारा अनुभव की जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता को सरकारी आँकड़ों में पर्याप्त रूप से दर्ज नहीं किया जा सकता है।

आगे की राह

- **विकेंद्रीकरण के 3F:** स्थानीय सरकारों को पर्याप्त वित्त, कार्य और अधिकारी उपलब्ध कराए जाने चाहिए तथा उन्हें अधिक निर्णय लेने की स्वायत्तता दी जानी चाहिए।

- **स्थानीय पेशेवर क्षमता:** पेशेवरों और कुशल सामुदायिक संसाधन कार्यकर्ताओं को समुदाय के निकट नियुक्त करके तकनीकी और प्रबंधन संबंधी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- **धन को परिणामों से जोड़ना:** वित्तीय संसाधनों को पंचायत उन्नति सूचकांक जैसे साधनों के माध्यम से सामने आने वाली विकास संबंधी कमियों से जोड़ा जाना चाहिए।
- **सामाजिक जवाबदेही:** सामुदायिक सत्यापन, सामाजिक अंकेक्षण, नागरिक प्रतिक्रिया और पारदर्शी सार्वजनिक सूचना को पारंपरिक प्रशासनिक निगरानी का पूरक बनाया जाना चाहिए।

स्रोत: IE

भारत की नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy)

चर्चा में क्यों?

- भारत में मत्स्य क्षेत्र नीली अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो लगभग तीन करोड़ लोगों की आजीविका प्रदान करता है तथा उत्पादन, निर्यात और तटीय विकास को बढ़ावा देता है।

पृष्ठभूमि

- नीली अर्थव्यवस्था का आर्थिक दर्शन पहली बार वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (UNU) में प्रोफेसर गुंटर पाउली द्वारा एक सतत विकास दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट, उत्सर्जन और पर्यावरणीय क्षति को कम करते हुए आर्थिक विकास उत्पन्न करना है।
- रियो+20 शिखर सम्मेलन (2012) और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 14 को अपनाए जाने के बाद इसे वैश्विक महत्व प्राप्त हुआ। यह लक्ष्य महासागरों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण तथा सतत उपयोग को बढ़ावा देता है।

नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy)

- यह आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और रोजगार के लिए महासागरीय और तटीय संसाधनों के सतत उपयोग को संदर्भित करती है, साथ ही महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
- भारत में इसमें समुद्री संसाधन और बुनियादी ढाँचा शामिल हैं, जिनमें आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। इनमें सतत मत्स्य पालन और जलीय कृषि, अपतटीय पवन ऊर्जा तथा अन्य नवीकरणीय समुद्री ऊर्जा स्रोत शामिल हैं।

भारत में नीली अर्थव्यवस्था का महत्व

- **आर्थिक विकास और व्यापार:** नीली अर्थव्यवस्था भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

- भारत के लगभग 95% व्यापार की मात्रा और लगभग 70% व्यापार के मूल्य का संचालन बंदरगाहों के माध्यम से होता है।
- बेहतर बंदरगाह, नौवहन और समुद्री उद्योग निर्यात और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे।
- **रोजगार:** मत्स्य पालन और इससे संबंधित गतिविधियाँ लगभग 3 करोड़ लोगों को आजीविका प्रदान करती हैं।
- मछली पकड़ने, पर्यटन, प्रसंस्करण और कौशल विकास उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और गरीबी में कमी लाई जा सकती है।
- **खाद्य सुरक्षा:** मछली प्रोटीन और पोषक तत्वों की महत्वपूर्ण मात्रा प्रदान करती है।
- **नीला कार्बन एवं जलवायु लचीलापन:** मैंग्रोव और समुद्री घास तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जो कार्बन का भंडारण करते हैं और तटरेखाओं को तूफानों, कटाव तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाते हैं।
- **सुरक्षा और संप्रभुता:** एक मजबूत नीली अर्थव्यवस्था भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और अपतटीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा करती है और इस प्रकार भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करती है।
- यह हिंद महासागर में बेहतर क्षेत्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देती है तथा बंदरगाहों, गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकी और समुद्री बुनियादी ढाँचे में निवेश के माध्यम से भारत की रणनीतिक पहुँच को बढ़ाती है।

चुनौतियाँ

- **पर्यावरणीय क्षरण:** अत्यधिक मत्स्यन, औद्योगिक अपवाह, तटीय कटाव और बढ़ते समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण के कारण समुद्री जैव विविधता और मछली भंडार खतरे में हैं।
- **जलवायु संवेदनशीलता:** समुद्र के बढ़ते जल स्तर, गर्म होते महासागर और अधिक लगातार आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का तटीय समुदायों, बंदरगाह के बुनियादी ढाँचे और पारंपरिक मत्स्य पालन गतिविधियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
- **बुनियादी ढाँचे की कमियाँ:** खंडित शीत श्रृंखला, पुराने मछली पकड़ने वाले बेड़े तथा सीमित जहाज निर्माण और मरम्मत क्षमता उच्च-मूल्य वाले निर्यात और गहरे समुद्र के दोहन में बाधा डाल रहे हैं।
- **शासन और वित्तपोषण:** समुद्री क्षेत्र का प्रबंधन कई मंत्रालयों द्वारा किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर नियामक अतिव्यापन होता है।
- इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र के निवेश और ब्लू बॉन्ड जैसे नवीन वित्तपोषण साधनों का अभी भी पर्याप्त रूप से उपयोग किया जाना बाकी है।

विभिन्न कदम

- **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY):** प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के माध्यम से भारत के मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है।
- सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान में PMMSY के तहत रिकॉर्ड ₹2,500 करोड़ आवंटित करके क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
- मछली उत्पादन 2019-20 में 141.64 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में रिकॉर्ड 197.75 लाख टन हो गया।
- इस क्षेत्र ने अच्छी वृद्धि दर्ज की है। मत्स्य निर्यात 2019-20 में ₹46,663 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹73,890 करोड़ हो गया।
- इस योजना ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि से संबंधित गतिविधियों में 58 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित किया है।
- इसने शीत श्रृंखला और विपणन बुनियादी ढाँचे के लिए ₹2,797 करोड़ की मंजूरी भी दी, जिससे कटाई के बाद प्रबंधन और बाजारों तक संपर्क में सुधार हुआ।
- **डीप ओशन मिशन:** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा 2021 में गहरे समुद्र की जीवित और निर्जीव संपदा की खोज तथा उसके सतत उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियाँ विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- भारत ने समुद्रयान परियोजना शुरू की है—जो डीप ओशन मिशन के अंतर्गत आती है—जिसका उद्देश्य मानवयुक्त पनडुब्बी के माध्यम से गहरे समुद्र की खोज के इसके पहले घटक पर कार्य करना है।
- मत्स्य 6000, एक स्व-चालित मानवयुक्त पनडुब्बी है, जो तीन व्यक्तियों को समुद्र की सतह के नीचे 6,000 मीटर तक की गहराई तक ले जाने में सक्षम है। इसे इस परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है।
- **सागरमाला कार्यक्रम:** वर्ष 2015 में शुरू किया गया सागरमाला कार्यक्रम भारत की लंबी तटरेखा और अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग करके देश के समुद्री क्षेत्र को आधुनिक बनाने की एक प्रमुख पहल है।
- इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, बंदरगाह के बुनियादी ढाँचे को उन्नत करना, व्यापार बढ़ाना, रोजगार सृजित करना और बंदरगाह-आधारित विकास के माध्यम से सतत तटीय विकास को बढ़ावा देना है।
- यह समुद्री अमृत काल विजन 2047 के प्रमुख स्तंभों में से एक है, जिसका उद्देश्य भारत की विश्व-स्तरीय बंदरगाहों, नौवहन और जलमार्गों के विकास की महत्वाकांक्षा को समर्थन देना तथा 2047 तक एक अग्रणी वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में उभरना है।

- नीली क्रांति: 2015 में शुरू की गई नीली क्रांति का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाकर, बुनियादी ढाँचे का विस्तार करके और आधुनिक प्रथाओं को बढ़ावा देकर अंतर्देशीय और समुद्री दोनों क्षेत्रों में मछली उत्पादन बढ़ाना तथा मत्स्य क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।

निष्कर्ष

- भारत की नीली अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास, रोजगार, स्वच्छ ऊर्जा और तटीय लचीलेपन की अपार संभावनाएँ हैं। हालांकि, इस क्षेत्र के सतत विकास के लिए सरकार, उद्योगों और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग के साथ-साथ समुद्री संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग की आवश्यकता है।
- इस प्रकार, नीली अर्थव्यवस्था भारत के सतत विकास और भविष्य के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकती है।

स्रोत: PIB

- जब कोई निवेशक बॉन्ड खरीदता है, तो टोकन का स्वामित्व लेजर पर स्थानांतरित हो जाता है, जबकि संबंधित भुगतान RBI की थोक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) का उपयोग करके किया जाता है।
- प्रतिभूतियों और भुगतान के दोनों पक्षों को RBI के यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस (UMI) के माध्यम से जोड़ा जाता है।
- यह परमाणु निपटान की अनुमति देता है, अर्थात् बॉन्ड और धन का आदान-प्रदान दो अलग-अलग निपटान प्रक्रियाओं के बजाय तुरंत किया जाता है।

परिसंपत्ति टोकनाइजेशन क्या है?

- परिसंपत्ति टोकनाइजेशन किसी वास्तविक या वित्तीय परिसंपत्ति में स्वामित्व या आर्थिक अधिकारों को डिजिटल टोकन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, जिन्हें ब्लॉकचेन या वितरित लेजर प्रणाली पर दर्ज किया जाता है।
- टोकनाइजेशन किसी उच्च-मूल्य वाली परिसंपत्ति को छोटी इकाइयों में विभाजित करने की अनुमति दे सकता है, जिससे निवेशकों को उन परिसंपत्तियों में आंशिक निवेश प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सकता है, जिनके लिए अन्यथा पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती।

स्रोत: IE

संक्षिप्त समाचार

कॉर्पोरेट बॉन्ड टोकनाइजेशन के लिए डिमैट 2.0 पायलट

सन्दर्भ

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने "डिमैट 2.0" शुरू किया है।

डिमैट 2.0 का परिचय

- यह कॉर्पोरेट बॉन्ड के टोकनाइजेशन और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा तथा ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके तेज़ निपटान का परीक्षण करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम है।
- यह पता लगाता है कि क्या वितरित लेजर तकनीक प्रतिभूतियों और निपटान स्तरों को एकीकृत कर सकती है, ताकि तेज़ निपटान संभव हो सके और परिसंपत्ति सेवाओं के कुछ हिस्सों को स्वचालित किया जा सके।
- डिमैट 1.0 को 1996 में शुरू किया गया था और इसने भौतिक शेयर प्रमाणपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज प्रतिभूतियों से प्रतिस्थापित कर दिया।

प्रणाली कैसे काम करती है?

- जब कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी किया जाता है, तो उसे प्रतिभूति डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए वितरित लेजर पर एक डिजिटल टोकन के रूप में तैयार किया जाता है।

बुध ग्रह की सिकुड़न पहले के अनुमान से अधिक तेज़

सन्दर्भ

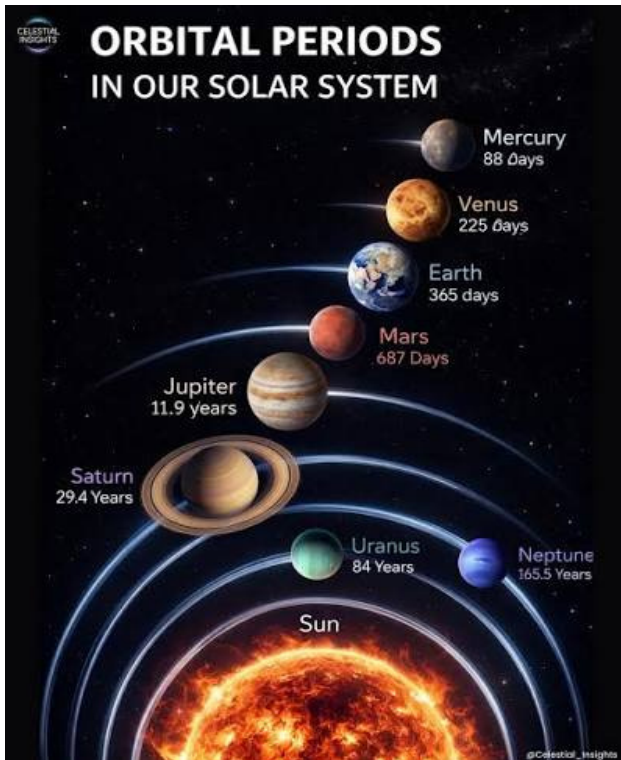
- एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि बुध के व्यास में 23 किमी तक की कमी आई हो सकती है, जो पहले के अनुमानों की तुलना में लगभग 30% अधिक सिकुड़न है।

बुध क्यों सिकुड़ रहा है?

- बुध के कुल आकार की तुलना में उसका लौह-समृद्ध क्रोड असामान्य रूप से बड़ा है और उसके आंतरिक भाग का धीरे-धीरे ठंडा होना क्रोड, मेंटल और भूपर्पटी के सिकुड़ने का कारण बनता है।
- जैसे-जैसे ग्रह का आंतरिक भाग सिकुड़ता है, उसका सतही क्षेत्रफल कम होता जाता है, जिससे भूपर्पटी पर संपीड़न से बनने वाली भूवैज्ञानिक संरचनाएँ, जैसे वलन कटक और भ्रंश, उत्पन्न होती हैं।
- यह प्रक्रिया अंगूर के किशमिश में बदलने के समान है, जहाँ आंतरिक आयतन में कमी के कारण बाहरी सतह पर झुर्रियाँ विकसित हो जाती हैं।

बुध का परिचय

- बुध सूर्य के सबसे निकट और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह पृथ्वी के चंद्रमा से केवल थोड़ा बड़ा है।
- यह पृथ्वी के बाद दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। इसका एक बड़ा धात्विक क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 2,074 किलोमीटर है, जो ग्रह की त्रिज्या का लगभग 85% है।
- 2,440 किलोमीटर की त्रिज्या के साथ, बुध पृथ्वी की चौड़ाई का एक-तिहाई से थोड़ा अधिक है।
- बुध सबसे तेज़ गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह है और सूर्य की एक परिक्रमा 88 पृथ्वी दिनों में पूरी करता है। ग्रह को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में 59 पृथ्वी दिवस लगते हैं।
- बुध की सतह का तापमान अत्यधिक गर्म और ठंडा दोनों होता है। चूंकि यह ग्रह सूर्य के बहुत निकट है, इसलिए दिन के समय तापमान 800°F (430°C) तक पहुँच सकता है।
- रात में ऊष्मा को बनाए रखने के लिए वायुमंडल न होने के कारण तापमान -290°F (-180°C) तक गिर सकता है।
- बुध के कोई चंद्रमा और वलय नहीं हैं।



बेपीकोलंबो मिशन

- बेपीकोलंबो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) का बुध ग्रह के अन्वेषण के लिए चल रहा एक संयुक्त अंतरराष्ट्रीय मिशन है।
- इसे 2018 में प्रक्षेपित किया गया था।

स्रोत: IE, NASA

युद्ध अभ्यास 2026

सन्दर्भ

- भारतीय और अमेरिकी सेनाओं ने अपने वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2026 के 22वें संस्करण की शुरुआत की है। इसमें पहली बार ड्रोन-रोधी प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है।

अभ्यास का परिचय

- युद्ध अभ्यास, जिसका हिंदी में अर्थ “युद्ध की तैयारी” है, की शुरुआत 2004 में आतंकवाद-रोधी प्रशिक्षण के आदान-प्रदान के रूप में हुई थी। इसके बाद से यह भारत और अमेरिका में बारी-बारी से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
- इस वर्ष का अभ्यास राजस्थान के बीकानेर और उत्तराखंड के औली में आयोजित किया जा रहा है, जिससे सैनिकों को रेगिस्तान और उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों सहित विभिन्न परिचालन परिस्थितियों का अनुभव प्राप्त हो रहा है।

स्रोत: TH

कलिंग रत्न पुरस्कार

सन्दर्भ

- भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा को कलिंग रत्न पुरस्कार-2026 से सम्मानित किया गया है।

परिचय

- वर्ष 2007 में स्थापित, यह सरला साहित्य संसद द्वारा प्रदान किया जाने वाला वार्षिक राज्य-स्तरीय नागरिक सम्मान है, जो राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ओडिशा के किसी योग्य व्यक्ति को दिया जाता है।
- इस पुरस्कार में देवी सरस्वती की चाँदी की प्रतिमा और एक प्रशस्ति-पत्र शामिल है।
- इस पुरस्कार के पूर्व प्राप्तकर्ताओं में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीजुक्त रबीरे, आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं।

क्या आप जानते हैं ?

- सरला साहित्य संसद, जिसकी स्थापना 1982 में ओडिशा के कटक में हुई थी, एक प्रमुख साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठन है, जो ओडिया भाषा, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने तथा 15वीं शताब्दी के ओडिशा के आदि कवि (प्रथम कवि) सरला दास की विरासत को संरक्षित करने के लिए समर्पित है।

स्रोत: AIR

प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैनेजमेंट (यूएसए)

सन्दर्भ

- अमेरिकी श्रम विभाग ने आईटी सेवा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी कॉग्निजेंट द्वारा PERM के तहत दाखिल आवेदनों पर सेवाएँ निलंबित कर दी हैं।

परिचय

- PERM, अर्थात कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक समीक्षा प्रबंधन, वह प्रणाली है जिसके माध्यम से नियोक्ता सामान्यतः रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड के लिए किसी विदेशी कर्मचारी को प्रायोजित करने से पहले श्रम प्रमाणन प्राप्त करते हैं।
- वीजा आवेदन के विपरीत, जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, PERM आवेदन नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की ओर से दाखिल किया जाता है।
- आवेदन दाखिल करने से पहले, नियोक्ता को उस पद के लिए प्रचलित वेतन निर्धारण प्राप्त करना होता है और निर्धारित भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
- एक बार श्रम विभाग द्वारा आवेदन को प्रमाणित कर दिए जाने के बाद, नियोक्ता ग्रीन कार्ड प्रक्रिया के अगले चरण के लिए आगे बढ़ सकता है।
- ग्रीन कार्ड संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी एक आधिकारिक पहचान दस्तावेज़ है, जो किसी व्यक्ति को देश में स्थायी रूप से रहने और काम करने का अधिकार प्रदान करता है।
- इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी विदेशी कर्मचारी को स्थायी रूप से नियुक्त करने से अमेरिकी श्रमिकों के रोजगार के अवसरों, वेतन या कार्य परिस्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- H-1B बनाम PERM: H-1B एक अस्थायी, गैर-आप्रवासी कार्य वीजा है, जो अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेषीकृत व्यवसायों में विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।
- इसके विपरीत, PERM स्थायी निवास प्राप्त करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है।

स्रोत: IE

बखिरा झील

चर्चा में क्यों?

- शोधकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश की बखिरा झील के तलछटों से प्राप्त चुंबकीय खनिजों, कण आकार, भू-रासायनिक और मृदा-खनिज अभिलेखों के आधार पर भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून (ISM) में परिवर्तनशीलता का पुनर्निर्माण किया है।

बखिरा झील

- बखिरा झील घाघरा-राप्ती जलोढ़ तंत्र में स्थित है और यह एक बारहमासी गोखुर झील/बाढ़भूमि आर्द्रभूमि है, जिसका निर्माण राप्ती नदी के मार्ग में परिवर्तन और उसके बाद नदी की मुख्य धारा से कट जाने के कारण हुआ है।
- यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आर्द्रभूमियों में से एक है और इसे वर्ष 2022 में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था।
- इसकी बाढ़भूमि-झील संबंधी स्थिति झील तथा आसपास के जलग्रहण क्षेत्र, दोनों से प्राप्त तलछटों के संचय और संरक्षण के अनुकूल है। यह इसे मानसून से प्रेरित अपवाह, तलछट परिवहन और अपक्षय में होने वाले परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील बनाती है।

नवीनतम अध्ययन

- यह अध्ययन मध्य गंगा के मैदान के लिए दीर्घकालिक पुराजलवायु अभिलेख प्रस्तुत करता है और अंतिम हिमानी अधिकतम, हेनरिक स्टेडियल 1, बोलिंग-एलेरॉड, यंगर ड्रायस, होलोसीन जलवायु अनुकूलतम तथा उत्तर-होलोसीन सूखे जैसी प्रमुख जलवायु अवस्थाओं के वर्षा, अपक्षय, अपरदन और तलछट परिवहन तथा झील की प्रक्रियाओं पर प्रभाव को दर्शाता है।
- इसके परिणाम पिछले मानसून के व्यवहार की हमारी समझ को आगे बढ़ाएंगे, भविष्य के जलवायु मॉडलों को बेहतर बनाने में सहायता करेंगे तथा मानसून पर निर्भर मध्य गंगा के मैदान में बेहतर जल-संसाधन और कृषि प्रबंधन में सहयोग करेंगे।

स्रोत: PIB

